न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दिनांक

मु०नं० 10/18 तारीख रजू 12-2-18

उनवान— लडडो देवी बनाम हेमराज जाख वगै० पीलवा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 के तहत पेश किया। प्रस्तुत जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गयी। मामला प्रार्थीया के पक्ष मे होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पीलवा के ख०नं० 1063/3111 रकबा 0.01, 1079 रकबा 0.02, 1080 रकबा 0.05 1081 रकबा 0.21, 1083/3018 रकबा 0.16, 1092 रकबा 0.14, 1093 रकबा 0.05 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 0.72 हैक्टर भूमि की आगामी पेशी तक निर्माण कार्य नही करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 23-2-18 को पेश हो। 719-24 14-2-18

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

23.2.18

प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1 की रुबरु अप्रार्थी नं. 2 ता 5 की मार्फत तथा अप्रार्थी नं. 6 की कार्मिक तामील हुई लेकिन कोई उपस्थित नही है। पी.ओ. साहब चुनाव कार्य से करौली पधारे है वास्ते अग्रिम आदेश दि० 12.3.18 को पेश हो।

12.3.18 वादी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1 ता 5 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. उप०। अप्रार्थी नं. 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकालतनामा व जवाब पेश होने दि० 5-4-18 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
~~3-5-18~~	~~पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर. देवीसीन में दिनांक..... 18 ....को पेश हो।~~
18.9.18	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए दिनांक 12.2.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण तक कन्फर्म करने का कथन किया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि अप्रार्थी नं. 1 ता 3 खातेदार ही नही है अप्रार्थी नं. 4-5 सहखातेदार है विधिवत तकासमा कराये अप्रार्थी नं. 1 ता 3 अप्रार्थी नं. 4-5 के सहयोग से निर्माण कर रहे है। उन्हे पाबन्द किया जावे। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अमर सिंह व खुशीराम भाई है हिस्सा 1/2 पर गैरसायलान काबिज है कृषि विकासार्थ कब्जे की भूमि पर ही निर्माण कर रहे है वादी किस जगह काबिज है यह स्पष्ट नहीं किया है दावा भी बंटवारा का नहीं है। सहखातेदारान को पाबन्द नहीं किया जा सकता को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।
	वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया ग्राम पीलवा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

नांक

संख्या 471 मे प्रार्थियों हिस्सा 1/108 की खातेदार काश्तकार है अप्रार्थी नं. 4 व 5 के पिता खुशीराम का 1/27 हिस्सा है अप्रार्थी नं. 1, 2, 3 खातेदार काश्तकार नही है अप्रार्थी नं. 4 व 5 के पिता के नाम भूमि सहखातेदार के रूप में दर्ज है विधिवत तकासमा होने तक समस्त सहखातेदारो का समान हिस्सा दर्ज होता है इसलिए सहखातेदारो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही पाता हूं। अप्रार्थी नं. 1,2,3 खातेदार काश्तकार नही है अतः अप्रार्थी नं. 1,2,3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पीलवा की भूमि खसरा नम्बर $\frac{1063/3111}{0.09}$ $\frac{1079}{0.02}$, $\frac{1080}{0.05}$, $\frac{1081}{0.21}$, $\frac{1083/3018}{0.16}$, $\frac{1092}{0.14}$, $\frac{1093}{0.05}$ कुल किता 7 कुल रकबा 0.72 हे० मे किसी भी प्रकार का पुख्ता निर्माण नही करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.9.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner